न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व मूल वाद संख्याः— 167/2009 110/2009

वादीगण—

01.तेजाराम पुत्र श्री गीलाराम
02.चन्दाराम पुत्र श्री गीलाराम
03.भीयाराम पुत्र श्री गीलाराम
04.ओमप्रकाश पुत्र श्री गीलाराम
05.गोपाराम पुत्र श्री गीलाराम
06.गौतमराम पुत्र श्री गीलाराम
जतियान सुथार निवासीगण ग्राम धवा तहसील झंवर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण—

01.सुखाराम पुत्र श्री गोकलराम
02.मोहनलाल के कायम मुकाम
2/1.खीमाराम पुत्र श्री मोहनलाल
2/2.विरदाराम पुत्र श्री मोहनलाल
2/3.सोहनलाल पुत्र स्व0 मोहनलाल सुथार मुदरतीवली माता श्रीमती मीमादेवी सुथार
2/4.श्रीमती मीमादेवी पत्नी श्री मोहनलाल निवासी ग्राम घवा तहसील लूणी जिला जोधपुर
2/5.श्रीमती गीता देवी पुत्री मोहनलाल पत्नि श्री अनोपराम सुथार निवासी ग्राम दईपडा खिचियान तहसील लूणी।
2/6.श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री श्री मोहनलाल पत्नि श्री परबतराम सुथार निवासी ग्राम चारलाई कल्ला तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा।
03.खंगारराम पुत्र श्री गोकलराम
सभी जातियान सुथार निवासीगण ग्राम धवा तहसील झंवर।
04.गैरी बेवा गोकलराम (मृतक नाम तर्क)

अधिवक्ता वादीगण— जयदेव सिह चारण व नवरतन चारण उपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादीगण अनुपस्थित।

राजस्व वाद अतंर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

नही किया गया। ऐसी स्थिति मे यह कहना उचित होगा कि 13.05.2005 को मोके पर आकर प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया धमकी दी गई मानने योग्य नही होने एवं साथ ही शांतिपूर्वक खातेदारी दर्ज चली आ रही है जिस पर वादीगण के पिता ने अपने जीवन काल में आपत्ति नही की उनके जाने के बाद उक्त कथनों को निर्मित करके वाद पेश किया गया। जहां तक कब्जे का प्रश्न है अगर प्रतिवादीगण मौके पर काबिज न होते हुए भी मात्र इस आधार पर वादीगण उनके अपने खातेदारी हक से वंचित नही कर सकते, साथ ही वाद की सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकनं करने पर यह पाया गया कि वादीगण द्वारा जो वाद उत्पन्न होने का कथन किया गया उक्त कथन मानने योग्य नही होने तथा एक मनगढ़त कारण होना प्रतीत होता है साथ ही जो खातेदारी सामलाती दर्ज हुई उसके संबंध में भी काफी लम्बा समय व्यतीत हो चुका है इस कारण उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादीगण सफल रहने से उक्त वाद बिना वादकारण पेश किया गया साथ ही यह वाद म्याद बाधित एवम प्रतिवादीगण वक्त सैटलमेंट के खातेदार काश्तकार होने से उनकी खातेदारी पर संदेह करना उचित नही ठहराते इस कारण उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होने से उक्त वाद काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण खारिज किया जाकर खेत खसरा संख्या 2 रकबा 163 बीघा 16 बिस्वा वाकै मौजा ग्राम धवा वर्तमान ग्राम मेलबा तहसील झंवर मे दर्ज खातेदारी 1/2 हिस्सा वादीगण एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के जमाबंदी अनुसार खातेदारी यथावत रखी जाती है। दोनों पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करे। उक्त निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 167 / 2009, 118/2009

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.तेजाराम पुत्र श्री गीलाराम 02.चन्दाराम पुत्र श्री गीलाराम 03.भीयाराम पुत्र श्री गीलाराम 04.ओमप्रकाश पुत्र श्री गीलाराम 05.गोपाराम पुत्र श्री गीलाराम 06.गौतमराम पुत्र श्री गीलाराम जतियान सुथार निवासीगण ग्राम धवा तहसील झंवर जिला जोधपुर।		01.सुखाराम पुत्र श्री गोकलराम 02.मोहनलाल के कायम मुकाम 2/1.खीमाराम पुत्र श्री मोहनलाल 2/2.विरदाराम पुत्र श्री मोहनलाल 2/3.सोहनलाल पुत्र स्व0 मोहनलाल सुथार मुदरतीवली माता श्रीमती मीमादेवी सुथार 2/4.श्रीमती मीमादेवी पत्नी श्री मोहनलाल निवासी ग्राम घवा तहसील लूणी जिला जोधपुर 2/5.श्रीमती गीता देवी पुत्री मोहनलाल पत्नि श्री अनोपराम सुथार निवासी ग्राम दईपडा खिचियान तहसील लूणी। 2/6.श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री श्री मोहनलाल पत्नि श्री परबतराम सुथार निवासी ग्राम चारलाई कल्ला तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा। 03.खंगारराम पुत्र श्री गोकलराम सभी जातियान सुथार निवासीगण ग्राम धवा तहसील झंवर। 04.गैरी बेवा गोकलराम (मृतक नाम

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 118/2009 167 / 2009 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद वास्ते खातेदारी घोषणा एव स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश हुआ जो कि वादीगण वाद को साबित करने मे असफल रहने से खारिज किया जाता हैं

नीज..................................मुबलिक...............................बाबत...............................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह...................................फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.................. ....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 9/9/2024 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी